न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
12/3/22	30/3/2022
30.03.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने पूर्व में दिनांक 09.02.2022 को प्रार्थना पत्र विड्रा पेश कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण को इसी स्तर पर विड्रा किये जाने का निवेदन किया गया था। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विड्रा कर खारीज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.31 12:18:11
Reason: SelfAttested